उमंग

रविवार, 7 मार्च, 1999

राष्ट्रीय सहारा

निजी जासूसी एजेंसियों का बढ़ता दायरा

एक समय था जब कोई देश अपने दुश्मन देश में जासूस भेजकर वहां की सामरिक जानकारियां इकट्ठी करता था मगर आज जासूसी व्यवसाय बन चुकी है। निजी एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत जानकारियां जुटाने का कार्य फीस लेकर किया जाने लगा है। बेटी की शादी से लेकर उद्योग की स्थापना के कार्यों में निजी जासूसों की मदद ली जाने लगी है। यह दीगर बात है कि धनी वर्ग ही इनका लाभ उठा पाता है। क्या हैं निजी जासूसी एजेंसियां, पड़ताल कर रहे हैं मदन जैड़ा-

टिक-टिक-टिक...। घड़ी की सुइयां शाम के सात बजने का संकेत दे रही हैं। दक्षिण दिल्ली की पॉश कालोनी में स्थित उस चार मंजिले कामर्शियल काम्पलेक्स में सभी आफिस पहले ही बंद हो चुके हैं, मगर चौथे माले पर स्थित एक दफ्तर में अभी तक चहल-पहल है। इस दफ्तर के बाहर किसी मार्केटिंग कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है। बाहर से साधारण-से दिखने वाले इस आफिस के अंदर का नजारा कुछ और ही है। बीस गुणा बीस फुट का यह कमरा वायरलेस व अन्य उपकरणों से सुसज्जित है तथा वहां कुछ महिला-पुरुष मौजूद हैं जो एक नजर में पुलिस वालों जैसे लगते हैं। ये लोग वायरलेस सेटों के जरिये संदेशों के आदान-प्रदान में व्यस्त हैं। दरअसल यह छोटा-सा एक कमरे वाला दफ्तर, वायरलेस कंट्रोल रूम है। [illegible]

सत्तर के दशक में दिल्ली तथा बंबई में एक-दो निजी खुफिया एजेंसियां खुलीं, मगर आज देश के सभी महानगरों और बड़े शहरों में सैकड़ों की तादात में खुफिया एजेंसियां हैं। अकेले दिल्ली में छोटी-बड़ी डेढ़ सौ जासूसी एजेंसियां कार्य कर रही हैं। कुछ बड़ी एजेंसियों ने तो अपना नेटवर्क देश के प्रमुख शहरों के अलावा विदेशों में भी फैला रखा है।

निजी खुफिया एजेंसी चलाने वाले आमतौर पर सेना, सीबीआई, आई.बी., रॉ अथवा पुलिस के सेवानिवृत्त अफसर हैं। सेना के रिटायर्ड अफसर इस व्यवसाय में ज्यादा हैं। इन एजेंसियों में जासूस के रूप में भी सीबीआई, आई.आई.बी., रॉ जैसी जासूसी संस्थाओं के अवकाश प्राप्त अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है जो वेतन भोगी होते हैं। कोई भी व्यक्ति इन एजेंसियों को फीस का भुगतान कर जासूसी के कार्य करवा सकता है।

कार्य की दृष्टि से निजी खुफिया एजेंसियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जो कारपोरेट क्षेत्र के लिए कार्य करती हैं, दूसरी वह जो आपराधिक मामलों की खोजबीन करती हैं। मौजूदा समय में औद्योगीकरण बढ़ने से कारपोरेट क्षेत्र की जासूसी का विस्तार हुआ है। मल्टीनेशनल कंपनियां हों या देश की कोई छोटी-बड़ी कंपनी, वह कहीं भी नया उद्योग लगाने के लिए जब जमीन क्रय करती हैं या अधिकारियों की नियुक्ति करती है तो उसके समक्ष दो बातें होती हैं, जो जमीन वह खरीद रही है, कहीं विवादित तो नहीं है और जिस अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है, वह अच्छे चरित्र का है या नहीं? यह जानकारी कंपनी के लिए स्वयं जुटा पाना नामुमकिन होता है। इसलिए इन जानकारियों को निजी खुफिया एजेंसियो की मदद से जुटाया जाता है। कुछ एजेंसिया ऐसी हैं जो सिर्फ आपराधिक मामलों की छानबीन का ही कार्य करती हैं। जैसे-नकली समान बनाने वालों का पर्दाफाश करना, आफिस के अंदर होने वाले घोटालों की जांच, शादी-ब्याह के लिए लड़के-लड़की के चरित्र की जांच आदि। मगर धीरे-धीरे ये एजेंसियां अपने कार्य का विस्तार करती जा रही है और हत्या, अपहरण जैसे मामलों को सुलझाने का दावा करती हैं।

दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में निजी खुफिया एजेंसियों के पास सबसे ज्यादा मामले शादी-ब्याह के लिए लड़के या लड़की के चरित्र की जांच के आते हैं। चूंकि महानगरीय परिवेश में लोग अपने पड़ोसी तक के बारे में ठीक जानकारी नहीं रख पाते हैं, इसलिए जब लोग बेटे या बेटी की शादी करते हैं तो अपनी होने वाली बहू या दामाद के बारे में जांच करवा लेते हैं। किसी लड़के या लड़की के चरित्र की जांच का कार्य चुनौती भरा होता है। जासूस को कई दिन तक उनका पीछा करना पड़ता है। कई बार इससे कोई सूत्र हाथ नहीं लगता है तो फिर जासूस उस व्यक्ति के दोस्तों के बीच अपने संबंध बढ़ाता है, जिसके चरित्र की जांच की जानी होती है। अगर जांच लड़की के चरित्र की होनी है तो महिला जासूस उस लड़की की सहेलियों को अपने जाल में फंसाकर असलियत उजागर करवा लेती है।

दिल्ली में किसी लड़के या लड़की की व्यक्तिगत चरित्र की जाच के लिए ये खुफिया एजेंसियां दस से बीस हजार रुपये के बीच फीस लेती हैं और सबूत समेत जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। कुछ बड़ी एजेंसियां विदेशों में बसे लोगों के बारे में भी जानकारियां हासिल कराती हैं। पिछले कुछ समय से भारत के संपन्न लोगों में बेटी का ब्याह अप्रवासी भारतीय के साथ करने का दौर चला है। ऐसे में अक्सर बताया जाता है कि लड़का कनाडा में डॉक्टर है। इस आधार पर कोई धनी व्यक्ति बेटी का विवाह उससे कर देता है। बाद में पता चलता है कि उक्त लड़का डॉक्टर नहीं अस्पताल में क्लर्क है। इससे बचने के लिए अब विदेश में बेटी की शादी से पूर्व लड़के की जांच करवा ली जाती है। इन जासूसी एजेंसियों का अन्य देशों की प्रमुख निजी जासूसी एजेंसियों से व्यावसायिक अनुबंध रहता है। जिस देश का मामला हो वहां की एजेंसी से संपर्क कर 48 घंटे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है। मसलन लड़का क्या करता है। चरित्र कैसा है, इत्यादि। हालांकि इस कार्य के लिए भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ती है।

यहां एक सवाल उठता है कि क्या बेटी की शादी से पूर्व दामाद की जांच कराना उचित है। इस पर एक खुफिया एजेंसी के दफ्तर में इसी कार्य की जांच के लिए आये एस.के. लाल का कहना है कि इसमें बुराई क्या है। यह एक लड़की के जीवन का सवाल है और फिर जब हम दो-तीन लाख रुपये शादी पर खर्च कर रहे हैं तो दस-बीस हजार रुपये और खर्च कर लेने में क्या हर्ज है। वह कहते हैं कि इससे तसल्ली तो हो जाएगी कि जिस युवक का वह दामाद के रूप में चुनाव कर रहे हैं, वह योग्य है। वह मानते हैं कि ऐसा करने का अधिकार दूसरे पक्ष को भी है। वह चाहें तो लड़की के चरित्र की जांच करवा सकते हैं।

पहले शादी-ब्याह के मामलों में उच्च तबके का व्यक्ति ही इन एजेंसियों की मदद लेता था मगर अब मध्यम तबके का आदमी भी ऐसा करने लगा है जिससे इन खुफिया एजेंसियों की चांदी बन आयी है। दूसरे, पति या पत्नी के अन्यत्र संबंधों से परेशान लोग भी इन्हीं एजेंसियों की शरण में जाते हैं। यह एजेंसियां उन्हें सबूत सहित जानकारियां उपलब्ध करा देती हैं जिसके आधार पर पति या पत्नी दूसरे पक्ष के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर कर तलाक के लिए आवेदन करते हैं। कुछ एजेंसियां तो सिर्फ यही कार्य करती हैं। वह अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि 'क्या आपको अपने पति/पत्नी के चरित्र पर शक है? जांच करवायें और सबूत सहित सारी जानकारी प्राप्त करें।'

महानगरों में अक्सर देखा जाता है कि मशहूर कंपनियों के ब्रांडों के नामों से नकली सामान बाजार में बिकता है। इस बात का पता जब उस कंपनी को चलता है तो वह पुलिस में मामला दर्ज कराती है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अगर कर भी ले तो वह पता लगाने में आमतौर पर असमर्थ ही रहती है। ऐसी स्थिति में कंपनियों की साख पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है। पुलिस की ओर से निराश कंपनियों के संचालकों को निजी खुफिया एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती है जो यह काम आसानी से कर डालती हैं।

इन एजेंसियों को फलने-फूलने का अवसर पुलिस की निष्क्रियता ने भी दिया है। आज पुलिस को कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। फिर पुलिस के पास तेज तर्रार 'इंवेस्टीगेटरों' का अभाव है। बाकी जो सरकारी खुफिया एजेंसियां हैं, उन्हें बड़े-बड़े घोटालों की जांच से ही छुटकारा नहीं मिल पाता है। इसलिए निजी जासूसी एजेंसियों की शरण में जाना लोगों की मजबूरी बन गयी है। जासूसी का कार्य चुनौती और खतरों से भरा है। पकड़े जाने पर जेल की हवा भी जासूस को खानी पड़ सकती है क्योंकि भारत में निजी जासूसी को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए किसी जासूसी आपरेशन को आरंभ करने से पहले ऐसी योजना बनायी जाती है कि पकड़े जाने की नौबत ही न आये। कभी जासूस को भिखारी का वेश धारण करना पड़ता है तो कभी मोची का, कभी सब्जी बेचने वाले का, कभी परिवार नियोजन अधिकारी का और कभी टूथपेस्ट बेचने वाले का। यानी जब जिस तरीके से जानकारी इकट्ठी करनी हो उसी के अनुरूप बनना पड़ता है।

किसी व्यक्ति की जासूसी की जाती है तो इसमें सफलता तभी संभव है जब उस व्यक्ति को पता ही नहीं चले कि उसका पीछा किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। ऐसा ही इन खुफिया एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसका एक उदाहरण यहां पेश है। मान लीजिए रमेश के बारे में पता लगाना है कि वह कहां-कहां जाता है, किन-किन लोगों से मिलता है? इसके लिए सबसे पहले एक जासूस उसके घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे मोची का काम खोलकर बैठ जाएगा। वह काम तो मोची का कर रहा है मगर नजरें उसकी रमेश के घर पर हैं। मोची के बक्से में एक वायरलेस भी छुपा रहता है। जैसे ही रमेश घर से बाहर निकलकर अपनी कार में सवार होता है, मोची बना जासूस वायरलेस से इसकी खबर कर देता है। थोड़ी देर में समीप ही स्थित टैक्सी स्टैंड से एक सफेद टैक्सी रमेश की कार का पीछा आरंभ कर देती है। टैक्सी चालक भी जासूस है। वह आपरेशन कक्ष में वायरलेस के जरिये सूचना देता है कि रमेश किस तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद टैक्सी के पीछे एक प्राइवेट कार आ जाती है। टैक्सी चालक को संदेश मिलता है और वह अपनी कार रमेश से आगे निकाल लेता है। अब रमेश का पीछा वह प्राइवेट कार कर रही है। ऐसे में रमेश सोच भी नहीं सकता की कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है, क्योंकि जो गाड़ी उसके पीछे काफी देर से आ रही थी वह अब आगे निकल चुकी है। रमेश की गाड़ी का जो कार पीछा कर रही है उसके पीछे भी एक मोटर साइकिल सवार आ रहा है। अब रमेश एक होटल के सामने गाड़ी पार्क कर अंदर प्रवेश करता है तो पीछा कर रही प्राइवेट कार सीधे आगे निकल जाती है। मोटर साइकिल होटल पर रुक जाती है। उसमें सवार व्यक्ति रमेश पर निगरानी आरंभ कर देता है। जासूसी की भाषा में इस तरह से पीछा करने की विधि को 'डायमंड फार्मेशन' कहते हैं। इस विधि में कितना ही चतुर व्यक्ति हो, उसे इस बात का पता नहीं चल पाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है।

मौजूदा समय में इंटरनेट के आगमन से जासूसी एजेंसियों को विदेशों से जानकारियां इकट्ठी करने में काफी सुविधा हो गयी है। इसके अलावा वायरलेस, सूक्ष्म ट्रांसमीटर, 'डी बगिंग डिवाइस', दिशा सूचक आदि उपकरणों का जासूसी में खूब उपयोग होता है। 'डी बगिंग' डिवाइस' एक ऐसा उपकरण है जो टेलीफोन में लगे ट्रांसमीटर को ढूंढ़ निकालता है। एक जासूसी एजेंसी के अनुसार ऐसे अनेक मामले आ चुके हैं। कुछ व्यवसाइयों ने शिकायत की कि उनके टेलीफोन सुने जा रहे हैं। जांच के दौरान उनके फोन पर बग (ट्रांसमीटर नुमा उपकरण) लगा पाया गया। यह बग टेलीफोन की तार या टेलीफोन के अंदर लगा रहता है। इसकी मदद से फोन पर होने वाली बातचीत को आसानी से सुना जा सकता है। इसका पता डी बगिंग डिवाइस उपकरण के माध्यम से लगाया जाता है।

मौजूदा समय में जासूसी एजेंसी 'गोलियथ' का देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके बाद दो बड़ी एजेंसियां हैं 'ग्लोबल' और 'लांसर्स'। ग्लोबल के चीफ कैप्टन प्रेम कुमार और लांसर्स के विक्रम सिंह की गिनती देश के प्रमुख जासूसों में होती है। देश के अन्य प्राइवेट जासूसों में हृदयेश मदान (गोलियथ), एजेंलो मनजेसर (आईबीआई), पी.के. सेन (कामर्शियल सर्विसेज.) सुभाष बधावन (डिटेक्टिव नेटवर्क) को धुरंधर जासूस माना जाता है। इसमें श्री ऐंजलो सीबीआई के रिटायर्ड अफसर हैं। उल्लेखनीय है कि सीबीआई के लोग जांच पड़ताल में माहिर होते हैं, जबकि रॉ और आई.बी.के. लोग पीछा करने में।

भारत में निजी जासूसी को कानूनी मान्यता अभी नहीं मिली है। जबकि कई प्रमुख देशों अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी में प्राइवेट जासूसों को मान्यता मिली हुई है। इग्लैंड में प्राइवेट जासूसी काफी वर्षो से चल रही है, मगर वहां भी इसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत ने आरंभ में तो इस पर विचार नहीं किया मगर 1994 में नरसिंह राव सरकार के कार्यकाल के दौरान गृहमंत्री एस.वी. चव्हाण ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी विधेयक तैयार किया था। पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह विधेयक पेश नहीं किया जा सका। इस विधेयक में निजी जासूसों को कानूनी मान्यता देने की बात कही गयी थी। इसके बाद गुजराल सरकार के कार्यकाल में यह विधेयक संसद में पेश किया गया लेकिन तत्कालीन गृहमंत्री इन्द्रजीत गुप्त के निर्देश पर विधेयक में से निजी जासूसों को मान्यता देने की बात हटा दी गयी। इसमें यह व्यवस्था दी गयी यदि राज्य सरकारें चाहें तो इस बाबत अलग से दिशा-निर्देश जारी कर सकती हैं। बहरहाल, यह विधेयक तब भी पारित नहीं हो सका। ●

'जासूस एक आम आदमी होता है'

सन् 1960 से जासूसी के पेशे में सक्रिय गोलियथ डिटेक्टिव के रीजनल डायरेक्टर हृदयेश मदान 1960 से जासूसी के पेशे में हैं। उन्होंने अमरीकन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस से जासूसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पेश है जासूसी के विभिन्न पहलुओं पर उनसे बातचीत।

[illegible]

[illegible]

जरूरत ने दिखायी जासूसी की राह

देश में निजी जासूसी की शुरुआत रमेश मदान ने 1958 में की। इसकी शुरुआत की एक रोचक दास्तान है। रमेश मदान ने अपनी पारिवारिक संपत्ति के मामले में अदालत में एक मामला दाखिल किया था। [illegible]

[illegible] मुवक्किलों को जब तुम्हारी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें उसकी फीस अलग से दिलवा दूंगा। रमेश ने ऐसा ही किया। धीरे-धीरे उन्हें काम मिलने लगा और उनका जासूसी का व्यवसाय चल पड़ा। [illegible]

[illegible] जासूस नियुक्त करते हैं। श्री मदान पुलिस, सीबीआई,आई बी, के जासूसों को बढ़िया प्राइवेट जासूस नहीं मानते हैं। क्योंकि सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट जासूसों की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। सरकारी जासूस जहां [illegible] ●

जासूसी के कुछ दिलचस्प पहलू

● *महानगरों में संचालित जासूसी एजेंसियों द्वारा अपने जासूसों को कोड नंबर दिये जाते हैं और वायरलैस से बातचीत में जासूस इन्हीं कोड नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ये कोड नंबर इस तरह होते हैं जैसे जीरो- जीरो सेवन, जीरो-जीरो नाइन, ट्रिपल फोर, ट्रिपल फाइव इत्यादि।*

● *जब कोई जासूसी एजेंसी किसी जासूस को नियुक्त करती है तो उस जासूस की* [illegible]

जब परेशानी का सबब बनती है जासूसी

सरकार का नियंत्रण न होने की वजह से निजी जासूसी एजेंसियां कई बार [illegible]

[illegible]